

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाण्डिल।

अनुसूची फार्म सं०-662

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश फलक

जिला- सरायकेला-खरसावाँ

अनुमण्डल- चाण्डिल

अंचल- चाण्डिल

केस का प्रकार- जमाबंदी दर्ज करने के संबंध में।

अभिलेख सं०- 30/25-26

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																													
1	2	3																													
19.07.25	अभिलेख का संधारण राजस्व उप निरीक्षक श्री सुरेश सिंह मुण्डा एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री मनोज कुमार महतो के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि फनी प्रसाद सिंह मुण्डा के द्वारा परिशोधन पोर्टल में शिकायत सं०- PRI2406070179760912025514143118637, दिनांक- 02.06.2025 के द्वारा मौजा- रांका, खाता सं०- 60, प्लॉट सं०- 2316 एवं 873 अन्तर्गत भूमि कम्प्यूटराईजेशन के दौरान निम्न आवेदित भूमि का छुटे हुए जमाबंदी की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच किया गया। जाँचोपरान्त प्रतिवेदित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :- <table><tr><th>क्र०</th><th>मौजा/थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा (ए० में)</th><th>पंजी II रैयत का नाम</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><td>1</td><td>रांका/179</td><td>60</td><td>2316</td><td>0.99</td><td rowspan="2">फनी सिंह मण्डा, पिता- स्व० ज्योति लाल मुण्डा, ना०मु०सं०- 263/97-98 के अनुसार</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>873</td><td>0.44</td></tr><tr><td colspan="4">कुल</td><td>1.43 ए०</td><td></td></tr></table> उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी II में संधारित नहीं पाया गया। कार्यालय में उपलब्ध नामांतरण अभिलेख से मिलान करने पर पाया गया कि मौजा- रांका, खाता सं०- 60, प्लॉट सं०- 2316, रकबा- 0.99 ए० एवं प्लॉट सं०- 873, रकबा- 0.44 ए० भूमि ना०मु०सं०- 263/97-98 द्वारा नामांतरित होकर फनी सिंह मण्डा, पिता- स्व० ज्योति लाल मुण्डा के नाम पर दर्ज है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, नामांतरण शुद्धि पत्र की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त भूमि का ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। लेखापित (दि० 19.07.25) अंचल अधिकारी चाण्डिल।	क्र०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)	पंजी II रैयत का नाम	1	2	3	4	5	6	1	रांका/179	60	2316	0.99	फनी सिंह मण्डा, पिता- स्व० ज्योति लाल मुण्डा, ना०मु०सं०- 263/97-98 के अनुसार				873	0.44	कुल				1.43 ए०		
क्र०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)	पंजी II रैयत का नाम																										
1	2	3	4	5	6																										
1	रांका/179	60	2316	0.99	फनी सिंह मण्डा, पिता- स्व० ज्योति लाल मुण्डा, ना०मु०सं०- 263/97-98 के अनुसार																										
			873	0.44																											
कुल				1.43 ए०																											
		(दि० 19.07.25) अंचल अधिकारी, चाण्डिल।																													